



# प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

पी0टी0आई0

प्रशिक्षण अवधि :- 03 माह

उत्तराखण्ड पुलिस

**पाठ्यक्रम  
पी0टी0आई0 प्रशिक्षण  
अवधि 03 माह**

क्र0सं0	प्रशिक्षण विवरण	अन्तः कक्ष अवधि	वाह्य कक्ष अवधि
1	प्रशिक्षण अवधि	03 माह	03 माह
2	कुल प्रशिक्षण दिवस	92 दिवस	92 दिवस
3	समयावधि में अवकाश के दिवस	20 दिवस	20 दिवस
4	जंगल ट्रेनिंग हेतु	03 दिवस	03 दिवस
5	मध्यवधि वस्तुनिष्ठ परीक्षा	01 दिवस	.....
6	अन्तः कक्ष विषय की अन्तिम वस्तुनिष्ठ परीक्षा हेतु	03 दिवस	03 दिवस
7	बाह्य विषय की परीक्षा हेतु	05 दिवस	05 दिवस
8	समापन समारोह हेतु	01 दिवस	01 दिवस
9	<b>अन्तः कक्ष प्रशिक्षण हेतु कुल दिवस</b>	<b>92-33=59 दिवस</b>	<b>92-32=60 दिवस</b>
10	प्रतिदिन कालांश की संख्या	05 कालांश	05 कालांश
11	प्रति कालांश की समयावधि	40 मिनट	40 मिनट
	<b>प्रशिक्षण हेतु कालांश</b>	<b>59x5=295 कालांश</b>	<b>60x5=300कालांश</b>

**बाह्य कक्ष के सम्पूर्ण कालांशों को विवरण :-**

क्र०सं०	विषय	कालांश	पूर्णांक
1	पुलिस पी०टी० टेबल	110	100
2	आपरेटर्स वर्क	100	150
3	यू०ए०सी०	15	50
4	शारीरिक दक्षता पी०ई	25	100
5	विविध (तैराकी / योगाभ्यास / प्राथमिक चिकित्सा इत्यादि )	50	100
<b>योग</b>		<b>300</b>	<b>500</b>
<b>नोट :- बाह्य विषयों को पढाने के लिये अन्तः कक्षीय कालांशो को परिवर्तित किया जा सकता है।</b>			

**अन्तः कक्ष विषयों के सम्पूर्ण कालांशों एवं अंकों का विवरण**

क्र०सं०	बाह्य विषय	कालांश	अंक
1	प्रथम समूह- विधि प्रथम-भारतीय दण्ड विधान / दण्ड प्रक्रिया संहिता / भारतीय साक्ष्य अधिनियम	60	50
2	द्वितीय समूह- विधि द्वितीय विविध अधिनियम एवं केस लॉ	50	50
3	तृतीय समूह- पुलिस रेगुलेशन एवं प्रक्रियात्मक विधि	50	50
4	चतुर्थ समूह- कानून एवं व्यवस्था, अपराध निरोध तथा प्राथमिक चिकित्सा	75	50
5	पंचम समूह- भारतीय संविधान, मानवाधिकार, पुलिस का आचरण, सामान्य ज्ञान	40	50
<b>योग -</b>		<b>275</b>	<b>250</b>

**सम्पूर्ण अंको का विवरण**

क्र०सं०	विवरण	अंक
1	बाह्य विषयों के कुल अंक	500
2	अन्तः कक्ष विषयों के कुल अंक	250
2	प्रधानाचार्य / साक्षात्कार अंक	50
<b>कुल योग</b>		<b>800</b>

## परीक्षा संक्षेप

1. संस्था स्तर पर अन्तः कक्ष विषयों की एक मध्यावधि परीक्षा आयोजित की जाये। इस परीक्षा में अन्तः कक्ष के सभी समूहों का एक सयुक्त वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र हो, जिसमें सभी समूहों के समान प्रश्न होंगे। इस परीक्षा में प्राप्त अंकों की श्रेणी के आधार पर साक्षात्कार अंकों में अधिकतम 20 अंक दिये जायेंगे।
2. पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा केन्द्रीय रूप से अन्तिम परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की आयोजित की जायेगी। इस परीक्षा में सभी समूहों के अलग-अलग प्रश्न-पत्र होंगे एवं प्रत्येक प्रश्न-पत्र में 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे तथा समय 30 मिनट होगा। प्रतिदिन दो प्रश्न-पत्र आयोजित कराये जायेंगे।
3. उत्तीर्ण होने हेतु अन्तः कक्ष एवं बाह्य विषयों के प्रत्येक समूह में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे।
4. उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं का श्रेष्ठताक्रम निम्नानुसार निर्धारित होगा।
  - (क) प्राप्तांकों के आधार पर।
  - (ख) प्राप्तांक समान होने की स्थिति में भर्ती की वरिष्ठता के आधार पर।
  - (क) प्राप्तांकों एवं भर्ती की तिथि समान होने पर जन्मतिथि में वरिष्ठता के आधार पर
5. अन्तिम परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षुओं को एक माह का पूरक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। प्रशिक्षणोपरान्त संबंधित विषयों की पूरक परीक्षा ली जायेगी। इन प्रशिक्षुओं का श्रेष्ठताक्रम मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण सभी प्रशिक्षुओं के श्रेष्ठताक्रम के नीचे क्रमशः उक्तानुसार निर्धारित किया जायेगा।

**प्रधानाचार्य/साक्षात्कार हेतु 50 अंको का निर्धारण निम्न प्रकार है।**

**(अ)** 25 अंक प्रशिक्षुओं की अन्तः कक्ष एवं वाह्य कक्ष विषय प्रशिक्षकीय/खेल-कूद/सांस्कृतिक गतिविधियों के आधार पर निम्न प्रकार निर्धारित है :-

क- प्रशिक्षण के दौरान खेलों के लिये अधिकतम	<b>03 अंक</b>
ख- विशेष गतिविधियों के लिये अंक- 02	
1. कक्षा मॉनीटर	<b>02 अंक</b>
2. टोली कमांडर	<b>01 अंक</b>
3. मैस मैनेजर	<b>01 अंक</b>
<b>नोट :-</b> यदि प्रशिक्षु द्वारा एक या एक से अधिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया गया है तो उसे अधिकतम 02 अंक ही प्रदान किये जायेंगे।	
ग- प्रशिक्षण की मध्यावधि परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर - 20 अंक	
1. विशेष योग्यता श्रेणी 85 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने पर	<b>20 अंक</b>
2. प्रथम श्रेणी 75 प्रतिशत से 84.99 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर	<b>15 अंक</b>
3. द्वितीय श्रेणी 65 प्रतिशत से 74.99 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर	<b>12 अंक</b>
4. तृतीय श्रेणी 50 प्रतिशत से 64.99 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर	<b>10 अंक</b>
5. अनुत्तीर्ण 35 प्रतिशत से 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर	<b>05 अंक</b>

**(ब)** शेष 25 अंक प्रशिक्षार्थी के अन्तः कक्ष एवं वाह्य विषयों के ज्ञान के आंकलन, प्रशिक्षण में ली रुचि, अनुशासन, प्रशिक्षण के मध्य प्राप्त पुरस्कार तथा कर्तव्यनिष्ठा इत्यादि को ध्यान में रखकर साक्षात्कार के उपरान्त दिये जायेंगे। इस साक्षात्कार में प्रशिक्षुओं के सभी प्रशिक्षक सम्मिलित किये जायेंगे, ताकि प्रशिक्षुओं का पूर्ण आंकलन हो सके।

**(स)** निम्नलिखित प्रकार के अनुशासनहीनता के दृष्टान्तों पर उक्त अंको में से ऋणात्मक अंक दिये जायेंगे।

- |                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. विलम्ब से आगमन, अनुपस्थिति, निर्धारित अवकाश से अधिक अवकाश , |           |
| 2. सिक, रेस्ट, अस्तपताल दाखिल 1/2 अंक प्रतिदिन की दर से अधिकतम | :- 10 अंक |
| 3. गम्भीर अनुशासनहीनता                                         | :- 10 अंक |
| 4. अवज्ञा                                                      | :- 05 अंक |
| 5. आदेश कक्ष (ओ0आर0) में दण्ड                                  | :- 03 अंक |
| 6. डिफाल्टर/चेतावनी                                            | :- 02 अंक |

## पाठ्यक्रम आंतरिक विषय

प्रथम समूह— विधि प्रथम(भारतीय दण्ड विधान/दण्ड प्रक्रिया संहिता/भारतीय साक्ष्य अधिनियम  
कालांश :- 60

पूर्णांक:- 50

भारतीय दण्ड संहिता:- 1860

कालांश :- 40

अध्याय	विवरण
अध्याय-4	साधारण अपवाद धारा 76 से 106 तक
अध्याय-5 क	आपराधिक षडयंत्र धारा 120क एवं 120 ख
अध्याय 8	लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध धारा 141 से 160
अध्याय 9	निर्वाचन से संबंधित अपराध धारा 171क से 171 झ
अध्याय 10	लोक सेवको के विधि पूर्ण प्राधिकारी के अवमान के संबंध में धारा 182, 186, 188
अध्याय 11	मिथ्या साक्ष्य लोक न्याय के विरुद्ध अपराध धारा 223 से 225, 225ए, 225बी, 228 ए
अध्याय 15	धर्म से संबंधित अपराध धारा 295, 295ए, 296, 198
अध्याय 16	प्रथम –मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के संबंध में धारा 299 से 304, 304ए, 304बी,305 से 309
अध्याय 16	द्वितीय मानव शरीर पर गंभीर चोट के विषय में धारा 319 से 328, 332, 333, 336, 337, 338
अध्याय 16	तृतीय मानव शरीर संबंधी सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के विषय में धारा 339 से 341
अध्याय 16	चतुर्थ मानव शरीर पर आपराधिक बल और हमले के संबंध में धारा 349 से 351 धारा 353,354
अध्याय 16	पंचम व्यपहरण ,अपहरण, दासत्व और बलात्संग के विषय में धारा 366ए, बी, ,
अध्याय 16	षष्ठम बलात्संग के विषय में धारा 375, 376, 376ए से 376 डी, 377
अध्याय 17	प्रथम सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में चोरी विषयक धारा 378 से 382
अध्याय 17	द्वितीय उदयापन के विषय में धारा 383 एवं 384
अध्याय 17	तृतीय लूट और डकैती के विषय में धारा 390 से 399 से 402
अध्याय 17	चतुर्थ सम्पत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के विषय में धारा 403 सं 406 व 409
अध्याय 17	पंचम चुराई हुई सम्पत्ति प्राप्त करने के विषय में धारा 410 से 412, 414
अध्याय 17	षष्ठम— छल के विषय में धारा 415 से 417 व 420
अध्याय 20क	पति अथवा पति के संबंधियों द्वारा कूरता के विषय में धारा 498ए
अध्याय 22	आपराधिक अभित्रास, अपमान और क्षोम के विषय में धारा 503, 504, 508
अध्याय 23	अपराधों को करने के प्रयत्नों के विषय में धारा 511

## दण्ड प्रक्रिया संहिता

अध्याय	विवरण
अध्याय-1	परिभाषायें धारा 2ए से 2 वाई
अध्याय-4	वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियों) धारा 36, 37 से 40 द0प्र0सं0
अध्याय- 5	(व्यक्तियों की गिरफ्तारियों) धारा 41 से 60 द0प्र0सं0
अध्याय - 6	हाजिर होने को विवश करने के लिये आदेशिकायें धारा 61 से 85, 87 से 90
अध्याय-7	वस्तुयें प्रदान करने हेतु आदेशिकायें धारा 91 से 94, 97, 98, 99 से 104
अध्याय 8	(परिशांति स्थापित करने के लिये, सदाचार के लिये प्रतिभूति) धारा 106 से 118 , 122
अध्याय 10	लोक व्यवस्था एवं प्रशान्ति बनाये रखना (विधि विरुद्ध जमाव) धारा 129 से 132, 133 से 145, 147 से 153
अध्याय 12	पुलिस को सूचना और अन्वेषण करने की शक्तियाँ धारा 154, 155, 156 से 159, 160 से 164, 165 से 169, 173 से 176
अध्याय 33	जमानत एवं बंध पत्रों के बारे में उपबंध धारा 436 से 439 एवं 446 द0प्र0सं0
अध्याय 36	अपराधों के संज्ञान करने के लिये परिसीमा काल धारा 468 से 473 एवं 482 अपराधों का वर्गीकरण 1. प्रथम अनुसूची 2. द्वितीय अनुसूची नोट :- दण्ड प्रक्रिया संहिता का अध्यापन नवीनतम संशोधनों सहित कराया जायेगा तथा अध्यावधि संशोधनों का भी समावेश किया जाता रहेगा।

## भारतीय साक्ष्य अधिनियम

कालांश :- 18

अध्याय	विवरण
अध्याय-2 ख	संस्वीकृतियों धारा 17, 24 से 30
अध्याय- 2 ग	उन व्यक्तियों के कथन जिन्हें साक्ष्य में बुलाया नहीं जा सकता धारा 32, 32(1)
अध्याय-2 छ	अन्य व्यक्तियों की राय कब सुसंगत है धारा 45 से 47, 47 ए 51

## द्वितीय समूह—विविध अधिनियम एवं केस लॉ

कालांश – 50

पूर्णांक:— 50 अंक

### केन्द्रीय विविध अधिनियम

1	उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 महत्वपूर्ण धाराओं
2	पुलिस बल (अधिकारों का निर्बन्धन) अधि०— 1966 धारा 2 (परिभाषायें ) 3 एवं 5
3	आयुध अधिनियम 1959 धारा 2,3 से 6, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 37 से 39
4	भारतीय विस्फोटक अधिनियम 1884 धारा 4, 9, 13
5	विस्फोटक पदार्थ अधिनियम—1908 धारा 1 से 7
6	राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम धारा 2से 7, 12, 13, 15, 17
7	विधि विरुद्ध गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम— 1967 (यथा संशोधित 2004) धारा 1 से 3, 7, 8, 10 से 14 से 22,25
8	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम— 1988 धारा 7 से 13, 17, 19, 20
9	अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 धारा 2 से 7, 8, 10,12,13,16,17,19,20,22
10	स्वापक द्रव्य एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 धारा 8, 15 से 32, 36अ, 41से 68
11	आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 1932 एवं 1961
12	वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 धारा 2, 9 से 17, 27, 32, 36, 37, 39 से 57
13	पशु कूरता निवारण अधिनियम 1960 धारा 11 से 13, 31 से 34 एवं 36
14	सार्वजनिक जुआ अधिनियम—1867 धारा 1, 3 से 13, 15, 16
15	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
16	अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम— 1956 धारा 1 से 18, 20, 21
17	लोक सम्पत्ति हानि निवारण अधिनियम— 1984 धारा 2 से 6
18	महिला अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 धारा 3,4,5,6,8
19	मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम – 1994
20	सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम— 2000 धारा 65 से 80
21	मोटर वाहन अधिनियम 1988 (संशोधित) धारा4, 5, 7, 16, 20, 29, 31, 35, 39, 40, 44 से 47, 56, 66, 119, 122 से 135, 177 से 179, 181, 183 से 187, 190, 192, 194, 196, 197, 200, 202, 207
22	राष्ट्रीय ध्वज अपमान निवारण अधिनियम 1971
23	घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 महत्वपूर्ण धारायें

### स्थानीय अधिनियम

कालांश :- 09

1	यू०पी० पी०ए०सी० एक्ट 1948 धारा 2 से 8
2	उ०प्र० गिरोहबन्द एवं असामाजिक कार्यकलाप निवारण अधिनियम 1986 धारा 2 से 4, 14, 19
3	उ०प्र० गुण्डा निवारण अधिनियम 1970 धारा 3, 4, 10, 11
4	उ०प्र० आबकारी अधिनियम 1910 धारा 3,4,6,7,12,15,17 ँ 23,25,34,35,38,42,45,48से 52, 54 से 70, 72



## केस लॉ

### संविधान एवं मानवाधिकार

कालांश :-114

#### मानवाधिकार

1. **दिलीप कुमार बसु बनाम बंगाल राज्य 1997 एससीसी 642**  
**जोगेन्द्र कुमार बनाम उ०प्र० राज्य 1994 सीआरएलजे 1981**  
गिरफ्तारी के समय/ गिरफ्तार किये जा रहे व्यक्ति के अधिकारों को इस विधि व्यवस्था में परिभाषित करते हुये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिये गये है।
2. **हथकड़ी का प्रयोग**  
**सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन 1980 सीआरएलजे 1099**  
**सिटिजन फॉर डेमोक्रेसी बनाम आसाम राज्य 1995 एससीसी 743**  
इन विधि व्यवस्थाओं में मा० सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि हथकड़ी का प्रयोग किन परिस्थितियों में अनुमन्य है।
3. **परमानन्द कटारा बनाम भारत संघ (ए०आई०आर० 1989 सर्वोच्च न्यायालय पृष्ठ 2039)**  
एक दुर्घटनाग्रस्त या घायल व्यक्ति का जीवन विधिक औपचारिकताओं की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान होता है। अतः चिकित्सक को घायल व्यक्ति का उपचार तत्काल बिना इस बात की प्रतीक्षा किये किया जाना चाहिये कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ०आई०आर०) पंजीकृत हुई अथवा नहीं।

## तृतीय समूह— पुलिस रेगुलेशन एवं प्रक्रियात्मक विधि

कालांश :- 50

पूर्णांक:- 50 अंक

क- पुलिस रेगुलेशन :-

अध्याय 1 – (वरिष्ठ अधिकारीगण) पैरा 1 से 17

अध्याय 2 – (रिजर्व निरीक्षक तथा रिजर्व उपनिरीक्षक) पैरा 18 से 24

अध्याय 5— (उपनिरीक्षक तथा ना0पु0 के अधिनस्त अधिकारी) पैरा 43 से 52 तथा 51, 55 से 59, 61 से 64

अध्याय 6— (सशस्त्र पुलिस) पैरा 65 से 72

अध्याय 9— ग्राम पुलिस पैरा 89 से 96

अध्याय 10— थानों में की गई रिपोर्ट पैरा 97 से 103

अध्याय 11— अनुसंधान 104, 105, 110, 112, 115 से 117

अध्याय 12— पंचायतनामा, शव परीक्षा और घायल व्यक्तियों का उपचार पैरा 129, 135, 139, 142, 145, 146

अध्याय 13 – गिरफ्तारी, जमानत एवं अभिरक्षा पैरा 147 से 150

अध्याय 14— सम्पत्ति की अभिरक्षा और निस्तारण पैरा 165

अध्याय 15— विशेष अपराध

अध्याय 17 – गश्त व नाकाबन्दी पैरा 190 से 195

अध्याय 18 विशेष गार्ड और अतिरिक्त पुलिस

अध्याय 19— फरार अपराधी पैरा 215 से 222

अध्याय 20— बुरे चरित्र वालों का पंजीकरण और निगरानी 223 से 276

अध्याय 22 (अभिलेख और गोपनीय दस्तावेज) पैरा 294, 295, 296

अध्याय 23 – (पुलिस थाने पर रखे गये अभिलेख) पैरा 301 से 308

अध्याय 25— जन्म मरण की रिपोर्ट पैरा 322, 325 से 327

अध्याय 26— अकाल के समय पुलिस अधिकारियों को मार्गदर्शन के निर्देश

अध्याय 27— विशेष विधियाँ और नियमों के अधीन कर्तव्य

ख- नियमावली/सेवा संबंधी मामले :-

1. गार्ड एवं स्कोर्ट नियम संख्या 7 से 10, 12, 14, 15, 17 से 19, 21, 22, 24, 32, 37, 62, 76, 106, 153, 163, 185, 194, 196, 197
2. उ0प्र0 राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 1956
3. उ0प्र0 अधीनस्त श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की दण्ड एवं अपील नियमावली 1991
4. रैंक एवं बैज
5. वर्दी पहनने के नियम (ड्रेस रेग्यूलेशन)
6. पदक एवं अलंकरण
7. सेवा अभिलेख-चरित्र-पंजिका/सेवा पुस्तिका

## संगठन

### 1. केन्द्रीय पुलिस संगठन एवं लक्ष्य

आई0बी0, आर0एण्ड ए0 डब्लू रॉ, सी0बी0आई0, सी0आई0एस0एफ0, एन0एस0जी0, एस0पी0जी0, एस0एस0बी0, बी0एस0एफ0, सी0आर0पी0एफ0, आई0टी0बी0पी0, आर0पी0एफ0, एन0आई0ए0, बी0पी0आर0एण्ड डी0, एन0सी0आर0बी0, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, केन्द्रीय फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो, केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला नईदिल्ली, चण्डीगढ़, कोलकाता तथा संदिग्ध अभिलेखों को सरकारी परीक्षण कार्यालय शिमला, कोलकता, हैदराबाद

### 2. क- पुलिस का संगठन :- राज्य, परिक्षेत्र, जिला, सर्किल, थाना चौकी तथा ग्राम स्तर, रिजर्व पुलिस लाइन, अभियोजन शाखा, डी0सी0आर0बी0, एल0आई0यू0, फील्ड यूनिट, विशेष जाँच प्रकोष्ठ, महिला अपराध सेल, महिला पुलिस थाना, सवार पुलिस शाखा।

ख- पी0ए0सी0 का संगठन :- मुख्यालय, जोन, अनुभाग, वाहिनी, कम्पनी, प्लाटून, सेक्शन  
ग- विशेष इकाईयों :- अपराध अनुसंधान विभाग, आर्थिक अपराध शाखा, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, विशेष अनुसंधान शाखा, सहकारिता/कृषि, राज्य विधुत परिषद के अन्तर्गत पुलिस संगठन, विशेष जाँच, अभिसूचना विभाग, पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र, पुलिस रेडियो, तकनीकी सेवायें, यातायात निदेशालय, अंगुलि चिन्ह संग्राहालय, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राज्य अपराध सूचना केन्द्र,रेलवे पुलिस (जी0आर0पी0), अग्निशमन शाखा, सर्तकता अधिष्ठान, अभियोजन निदेशालय, नागरिक सुरक्षा संगठन एवं होमगार्डस, पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय एवं अन्य प्रशिक्षण संस्थान, सेन्ट्रल रिजर्व/राज्य मोटर परिवहन सीतापुर, सेन्ट्रल स्टोर, पुलिस मुख्यालय, ग्राम सुरक्षा समितियों,प्रान्तीय रक्षा दल।

## पुलिस रेडियो संचार प्रणाली

1. पुलिस रेडियो दूरसंचार प्रणाली (वायरलैस संचार) आवश्यकता एवं स्वधि।
2. वी0एच0एफ0, रिपीटर, यू0एच0एफ0 संचार प्रणाली तथा सी0सी0आर0, डी0सी0आर0 की कार्यप्रणाली।
3. एच0एफ0, इलैक्ट्रॉनिक टेली प्रिन्टर, आर0टी0वाई0 तथा आधुनिक संचार की विधियाँ-सैटैलाइट कम्यूनिकेशन (पोलनेट), आप्टिकल फाइबर आदि।
4. रेडियों संदेश बनाना लिखना, संदेशों का वर्गीकरण एवं इनकी प्राथमिकतायें।
5. वायरलैस सेटों की हैण्डलिंग, पुलिस वायरलैस सेटों/सिस्टम में आने वाली सामान्य कमियाँ एवं उनका निराकरण।
6. हैण्ड हैल्ड एवं स्टेटिक्स मोबाइल वायरलैस सेटों पर वार्ता करने का व्यवहारिक प्रशिक्षण।

## 1— कानून एवं व्यवस्था

1— कानून एवं शांति व्यवस्था का तात्पर्य एवं महत्व

2— भीड़ नियंत्रण :-

1. भीड़ के प्रकार, मनोविज्ञान व व्यवहार
2. भीड़ नियंत्रण क सिद्धान्त तथा जबाबी रणनीति, अभिसूचना संकलन, विधिक उपाय, परामर्श एवं मध्यस्थल।
3. आशांकित खतरे की रोकथाम हेतु धारा 144 द0प्र0सं0 के दौरान शान्ति व्यवस्था ड्यूटी।
4. निम्न के दौरान सशस्त्र पुलिस (आर्म्ड पुलिस) की ड्यूटी कर्तव्य एवं सावधानियाँ  
क— औद्योगिक विवादों यथा—बन्द हड़ताल व प्रदर्शन।  
ख— हिंसक आन्दोलन व विधि विरुद्ध जमाव यथा—साम्प्रदायिक, राजनैतिक, विद्यार्थी वर्ग आदि।
5. हिंसक आन्दोलन के समय पुलिस बल प्रयोग करने के प्राविधान जिसमें पुलिस फायरिंग भी सम्मिलित है।

3— साम्प्रदायिक दंगे का अध्ययन :-

1. दंगे के कारण
2. पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही एवं विफलता के कारण।
3. मृत एवं घायलों की संख्या।
4. साम्प्रदायिक दंगे को रोकने की कार्यवाही।
5. साम्प्रदायिक दंगे के दौरान पुलिस ड्यूटी—कर्तव्य एवं सावधानियाँ।

4— मेला प्रबन्ध :-

1. मेला क्षेत्रों में कान्स ना0पु0/सशस्त्र पुलिस एवं पी0ए0सी0 की नियुक्ति—कर्तव्य एवं दायित्व।
2. यातायात, घुड़सवार, अग्निशमन पुलिस, संचार, वाच टावर, पार्किंग इत्यादि की व्यवस्था।

5— त्यौहार पर पुलिस व्यवस्था :-

1. त्यौहार का प्रबन्ध व पुलिस की भूमिका।
2. त्यौहार पर कान्स0 ना0पु0/सशस्त्र पुलिस एवं पी0ए0सी0 की नियुक्ति—कर्तव्य एवं आचरण।
3. संवेदनशील स्थानों पर ड्यूटी के दौरान सावधानियाँ
4. यातायात व्यवस्था करना।
5. शान्ति भंग करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही।

6— चुनाव के समय पुलिस ड्यूटी :-

1. मतदान केन्द्रों पर समय से ड्यूटी हेतु पहुंचना।
2. मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं को शान्तिपूर्वक मतदान करने का वातावरण प्रदान करना।
3. अपने व्यवहार में निष्पक्षता रखना।
4. बैलेट बॉक्स व वोटिंग मशीन व मतदान केन्द्र पर नियुक्त अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करना।
5. मतगणना के समय ड्यूटी।
6. चुनाव परिणामों के बाद जलूसों के समय शान्ति व्यवस्था ड्यूटी।

## 7- यातायात नियंत्रण एवं प्रबंधन

1. यातायात के सामान्य सिद्धांत विधि एवं मोटर गाड़ी नियम-24, 42, 78, 79, 84 से 86, 88, 102, 116, 136, 141, 164
2. यातायात चिन्ह एवं सिग्नलों का ज्ञान।
3. ट्रैफिक इंजीनियरिंग-क्रासिंग, द्वीप एवं सिगल्स।
4. विभिन्न स्थितियों जैसे-सामान्य यातायात, भारी यातायात, एकमार्गीय यातायात एवं विशिष्ट व्यक्तियों को आगमन के समय यातायात व्यवस्था की योजना।
5. राजमार्गों पर यातायात के नियम एवं आचरण
6. ट्रैफिक जाम के समय यातायात व्यवस्था।
7. यातायात सुरक्षा संबंधी ज्ञान।
8. हाइवे पैट्रोलिंग तथा ट्रैफिक बीटस एवं व्यवस्थापन।
9. वाहनों में लाल एवं नीली फ्लैशर/बत्ती तथा हूटर व साइरन के प्रयोग करने संबंधी नियमों का ज्ञान एवं प्रयोग करने हेतु अधिकृत गणमान्य व्यक्तियों/अधिकारियों की जानकारी।
10. यातायात कार्यो में जनता एवं विभिन्न प्रशासनिक इकाईयों में तालमेल।

## 8- सुरक्षा कर्तव्य/महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था तथा कान्स0 की भूमिका।

1. व्यक्तियों एवं संस्थानों की सुरक्षा का महत्व एवं आवश्यकता।
2. सुरक्षा एवं गार्ड ड्युटी।
3. गार्ड ड्युटी के प्रकार-कट्टरपंथ एवं राजद्रोहात्मक गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्र के परिपेक्ष्य
4. धमकी से प्रभावित व्यक्ति की सुरक्षा।
5. एस्कार्ट एवं कानवॉय की सुरक्षा।
6. संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा।
7. सार्वजनिक/महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर बम एवं विस्फोटकों से सावधानियाँ व सुरक्षा।
8. सार्वजनिक/महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर बम एवं विस्फोटकों से सावधानियाँ व सुरक्षा।

## 9- विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था एवं आरक्षी के कर्तव्य :-

1. विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन पर पुलिस व्यवस्था एवं किये जाने वाले प्रबंध की रूपरेखा।
2. विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के नियम।
3. विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के मानक
4. विशिष्ट व्यक्तियों के आने-जाने वाले मार्ग पर की जाने वाली व्यवस्था।
5. विशिष्ट व्यक्तियों के कार्यक्रम स्थल व ठहरने के स्थान पर की जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था।
6. विशिष्ट व्यक्तियों हेतु पी0एस0ओ0 ड्युटी-एक्स /वाई/जेड श्रेणी।

## 10- आपदा प्रबंधन -

1. आकस्मिक दुर्घटनायें-भूकम्प, भूस्खलन, चक्रवात, बाढ़, तूफान, अतिवृष्टि आदि के समय कार्ययोजना एवं उत्तरदायित्व।
2. विस्फोट, अचानक भवन गिरना, औद्योगिक दुर्घटना, भगदड़, इत्यादि के दौरान कार्ययोजना एवं उत्तरदायित्व।
3. सड़क, रेल एवं वायु दुर्घटनाओं के समय कार्ययोजना एवं पुलिस का उत्तरदायित्व।
4. अग्निशमन/बचाव कार्य
5. गंभीर दुर्घटनाओं एवं आपदाओं के दौरान घटित होने वाले सामान्य अपराध एवं उसके नियंत्रण हेतु पुलिस कार्यवाही।
6. बाढ़ राहत कार्य में पुलिस एवं पी0ए0सी0 की भूमिका।
7. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कोर्स।

## 2- अपराध निरोध

### 1- निरोधात्मक कार्यवाही :-

1. 107, 116, 116(3), 151 का प्रभावी प्रयोग।
2. 110 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही।
3. 129 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही।
4. 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता का प्रभावी प्रयोग।

### 2- विवेचना (विधिक पक्ष)

1. प्रथम सूचना रिपोर्ट, ध्यान देने योग्य तत्व (154,55 दं0प्र0सं0)
2. झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट (182 दं0प्र0सं0)
3. गिरफ्तारी के प्रावधान एवं प्रक्रिया तथा पुलिस अभिरक्षा।
4. पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु हो जाने पर की जाने वाली आवश्यक कार्यवाही।
5. संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ, पूछताछ में बल प्रयोग से होने वाली हानि तथा पूछताछ का उचित एवं वैज्ञानिक तरीका।

## 3- मानव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा

1. मानव शरीर की संरचना (एनाटॉमी) एवं मानव क्रियायें (फिजियोलॉजी) सामान्य जानकारी
2. मानव रक्त का वर्गीकरण
3. एचआईवी0 एड्स का ज्ञान एवं बचाव के उपाय।
4. विभिन्न संक्रामक रोग यथा- मलेरिया, डेंगु, तपेदिक, हैजा, डायरिया इत्यादि एवं इनसे बचाव के उपाय तथा उपयोगी चिकित्सा।
5. मादक पदार्थ/द्रव्य पदार्थ यथा तम्बाकू, गुटखा, धुम्रपान, शराब इत्यादि के सेवन से मानव शरीर को होने वाली हानियाँ एवं इससे बचाव
6. विभिन्न प्रकार के ड्रग यथा स्मैक, हेरोइन, नशीली दवाइयाँ/इजेक्शन इत्यादि के सेवन/प्रयोग के दुष्परिणाम एवं इसके इससे बचाव।

## 4- प्राथमिक चिकित्सा

1. प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ एवं लाभ तथा विभिन्न प्रकार एवं संसाधन।
2. प्राथमिक चिकित्सा के 09 सुनहरे नियम
3. घायल होने, साँप काटने, महामारी फैलने एवं आपदा के समय प्राथमिक सहायता।
4. शरीर पर आई खुली चोटों एवं हड्डी टूटने की दशा में प्राथमिक उपचार।
5. जल में डुबने एवं फॉसी लगने पर कृतिम श्वास दिया जाना।
6. जहर खाने एवं जलने की दशा में प्राथमिक उपचार।
7. दौरा पड़ने एवं झुलसने की दशा में प्राथमिक उपचार
8. हड्डी टूटने, घाव, रगड़ नीलगू घाव पर मरहम पट्टी करने का व्यवहारिक ज्ञान।
9. घायलों को उठाने एवं स्टेचर न होने के दशा में ले जाने का व्यवहारिक ज्ञान।

**1— भारतीय संविधान :-**

1. मौलिक अधिकार :- अनुच्छेद 12 से 35
2. मौलिक कर्तव्य एवं नीति निर्देशक तत्व :- अनुच्छेद 36 से 51, 51 ए

**2— मानवाधिकार एवं उससे संबंधित समस्याएँ —**

1. हिरासत में हिंसा—सताया जाना, मृत्यु व बलात्कार , कारण एवं निवारण
2. समाज के कमजोर वर्गों के प्रति अत्याचार व उनके संरक्षण में पुलिस की भूमिका।
3. विधि विरुद्ध जमाव व भीड़ की ड्युटी में मानवाधिकारों का संबंध।
4. हथकड़ियों के उपयोग के संबंध में विभागीय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये मार्गदर्शन

**3 जेण्डर सेंसाटाइजेशन/समाज के अन्य वर्गों के प्रति दृष्टिकोण :-**

1. भारत में महिलाओं की स्थिति तथा लैगिंग भेदभाव, उसके कारण एवं प्रकार।
2. महिलाओं के विरुद्ध अपराध/अत्याचार के प्रकार—कारण एवं आकड़े।
3. विभिन्न अपराधों एवं अत्याचारों से पीड़ित महिलाओं व बालिकाओं से साक्षात्कार की विधियाँ।

**4— पुलिस का आचरण :-**

1. पुलिस आचरण के सिद्धांत।
2. वर्तमान समय में पुलिस का आचरण व उसका पुलिस के कार्य एवं छवि पर प्रभाव।
3. जनसम्पर्क विकसित करने की विधियाँ—पब्लिक रिलेशन एवं पुलिस कम्युनिटी रिलेशन, कम्युनिटी पुलिसिंग।
4. पुलिस बल से सहयोग की भावना को जागृत करना तथा उसे बनाये रखना।
5. पुलिस बल का अपने उच्चाधिकारियों /समान रैंक/अधिनस्थों के प्रति व्यवहार।

**5— पुलिस का समाज के अन्य वर्गों के प्रति दृष्टिकोण :-**

1. पुलिस का समाज के दलित व पिछड़े वर्गों के प्रति उपेक्षित दृष्टिकोण तथा वर्तमान स्थिति व अपेक्षित व्यवहार।
2. मानसिक रूप से बीमार, विकलांग, नशेड़ी, पागल एवं आत्मघाती व्यक्ति के बारे में पुलिस का दृष्टिकोण।

**6— पुलिस के समक्ष चुनौतियाँ :-**

1. आतंकवाद—कश्मीर एवं अन्य राज्यों पर उसका प्रभाव।
2. भारत में आई0एस0आई0 की गतिविधियाँ।
3. नक्सलवादी गतिविधियाँ, पीपुल्स बार ग्रुप पूर्वोत्तर राज्यों में अलगाववादी संगठन 5—

7- सामान्य ज्ञान -

(क) भारत का भूगोल (स्वाध्याय हेतु विषय)

1. भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेश व उनकी राजधानियाँ।
2. भारत के मानचित्र की व्यवहारिक जानकारी तथा पड़ोसी देशों की सीमायें।
3. प्राकृतिक भाग, मुख्य औद्योगिक नगर, रेलवे लाइन, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, मुख्य नदियाँ

(ख) सामान्य जानकारी (स्वाध्याय हेतु विषय)

1. पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर
2. अखिल भारतीय पुलिस ड्युटी मीट
3. उपलब्धियाँ तथा पुरुस्कार
4. विभिन्न खेल प्रतियोगितायें
5. विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व
6. विख्यात पुस्तकें।

(ग) पर्यावरण (स्वाध्याय हेतु विषय)

1. पर्यावरण संरक्षण।



## पाठ्यक्रम वाह्य विषय

### 1- पुलिस पी0टी0 टेबल

पूर्णांक:- 100 अंक

कालांश :- 110

क्र0सं0	विषय	पूर्णांक	कालांश
1	व्यक्तिगत योग्यता	15	.....
2	व्यायाम सामान रहित	20	52
3	पी0टी0 गेम्स	20	18
4	कमाण्ड लीडरशीप	25	25
5	बाधायें (बी0ओ0ए0सी0)	20	15
योग		100	110

### 2- आपरेटर्स वर्क

पूर्णांक:- 150 अंक

कालांश :-100

क्र0सं0	विषय	पूर्णांक	कालांश
1	घोडा लम्बा एवं चौडा (प्रथम/द्वितीय/तृतीय श्रेणी)	20	20
2	ग्राउन्ड वर्क (फ्रन्ट रूल/बैक रूल/डाईविंग)	30	12
3	चिनिंग अप (बीम)	30	20
4	बीम बैलेन्स	10	15
5	रस्सा (प्रथम/द्वितीय/तृतीय श्रेणी)	30	18
6	हाई हार्स एवं जिमनास्टिक	30	15
योग		150	100

बीम :-

क्र0सं0	संख्या	अंक
1	08 बीम लगाने पर	30
2	07 बीम लगाने पर	25
3	06 बीम लगाने पर	20
4	05 बीम लगाने पर	15

रस्सा चढने पर :-

क्र0सं0	श्रेणी	अंक
1	प्रथम श्रेणी चढने पर	30
2	द्वितीय श्रेणी चढने पर	25
3	तृतीय श्रेणी चढने पर	20

### 3- यू0ए0सी0

पूर्णांक:- 50 अंक

कालांश :-15

क्र0सं0	विषय	कालांश	पूर्णांक
1	जूडो / कराटे	04	15
2	यू0ए0सी0	03	15
3	पकड़ विभिन्न प्रकार की	02	05
4	गांठ बांधना	02	05
5	चाकू के हमले से बचाव	02	05
6	स्माल आर्म्स हमले से बचाव	02	05
<b>योग</b>		<b>15</b>	<b>50</b>

### 4-' शारीरिक दक्षता के (पी0ई0)

कालांश :- 25

पूर्णांक:- 100

(1) लम्बी कूद

पूर्णांक:- 20 अंक

पुरुष वर्ग			महिला वर्ग		
क्र0सं0	दूरी	अंक	क्र0सं0	दूरी	अंक
1	18 फीट	20	1	14 फीट	20
2	17 फीट	18	2	13 फीट	18
3	16 फीट	16	3	12 फीट	16
4	15 फीट	14	4	11 फीट	14
5	14 फीट	12	5	10 फीट	12
6	13 फीट	10	6	09 फीट	10

(2) क्रास कन्ट्री 03 कि0मी0(पुरुष) / 1500मीटर दौड़ (महिला)

पूर्णांक:- 10 अंक

पुरुष वर्ग क्रास कन्ट्री 03 कि0मी0			महिला वर्ग 1500मीटर दौड़		
क्र0सं0	समय	अंक	क्र0सं0	समय	अंक
1	12 मिनट में	30	1	06.00 मिनट में	30
2	12.01 से 13 मिनट तक	28	2	06.01 से 06.30 मिनट तक	28
3	13.01 से 14 मिनट तक	26	3	06.31 से 07.00 मिनट तक	26
4	14.01 से 15 मिनट तक	24	4	07.01 से 07.30 मिनट तक	24
5	15.01 से 16 मिनट तक	22	5	07.31 से 08.00 मिनट तक	22
6	16.01 से 17 मिनट तक	20	6	08.01 से 08.30 मिनट तक	20
7	17.01 से 18 मिनट तक	18	7	08.31 से 09.00 मिनट तक	18
8	18.01 से 19 मिनट तक	15	8	09.01 से 09.30 मिनट तक	15

**(3) दौड़ 400 मीटर**

पूर्णांक:- 08 अंक

पुरुष वर्ग			महिला वर्ग		
क्र०सं०	समय	अंक	क्र०सं०	समय	अंक
1	01.00मिनट में	10	1	01.30मिनट में	10
2	01.01 से 01.05 मिनट तक	09	2	01.31 से 01.35 मिनट तक	09
3	01.06 से 01.10 मिनट तक	08	3	01.36 से 01.40 मिनट तक	08
4	01.11 से 01.15 मिनट तक	07	4	01.41 से 01.45 मिनट तक	07
5	01.16 से 01.20 मिनट तक	06	5	01.46 से 02.00 मिनट तक	06
6	01.21 से 01.25 मिनट तक	05	6	02.01 से 02.05 मिनट तक	05

**(4) दौड़ 100 मीटर**

पूर्णांक:- 10 अंक

पुरुष वर्ग			महिला वर्ग		
क्र०सं०	समय	अंक	क्र०सं०	समय	अंक
1	12 सेकेण्ड में	10	1	14.00 सेकेण्ड में	10
2	12.01 से 12.30 सेकेण्ड में	09	2	14.01 से 14.30 सेकेण्ड में	09
3	12.31 से 13.00 सेकेण्ड में	08	3	14.31 से 15.00 सेकेण्ड में	08
4	13.01 से 13.30 सेकेण्ड में	07	4	15.01 से 15.30 सेकेण्ड में	07
5	13.31 से 14.00 सेकेण्ड में	06	5	15.31 से 16.00 सेकेण्ड में	06
6	14.01 से 14.30 सेकेण्ड में	05	6	16.01 से 16.30 सेकेण्ड में	05

**(5) क्रिकेट बॉल थ्रो**

पूर्णांक:- 10 अंक

पुरुष वर्ग			महिला वर्ग		
क्र०सं०	दूरी	अंक	क्र०सं०	दूरी	अंक
1	70 मीटर थ्रो	10	1	50 मीटर थ्रो	10
2	65 मीटर थ्रो	09	2	45 मीटर थ्रो	09
3	60 मीटर थ्रो	08	3	35 मीटर थ्रो	08
4	55 मीटर थ्रो	07	4	30 मीटर थ्रो	07
5	50 मीटर थ्रो	06	5	25 मीटर थ्रो	06
6	45 मीटर थ्रो	05	6	20 मीटर थ्रो	05

**(6) सिट अप पुरुष/रस्सी कूद महिला**

पूर्णांक:- 10 अंक

पुरुष वर्ग (सिट-अप 50)			महिला वर्ग- रस्सी कूद (50 जम्प )		
क्र०सं०	समय	अंक	क्र०सं०	समय	अंक
1	01 मिनट में 50 सिट तक	10	1	01 मिनट में 50 जम्प	10
2	01.01 से 01.30 मिनट तक	09	2	01.01 से 01.30 मिनट तक	09
3	01.31 से 02.00 मिनट तक	08	3	01.31 से 02.00 मिनट तक	08
4	02.01 से 02.30 मिनट तक	07	4	02.01 से 02.30 मिनट तक	07
5	02.31 से 03.00 मिनट तक	05	5	02.31 से 03.00 मिनट तक	05

## (7) शटल रेस 400मीटर पुरुष/200मीटर महिला

पूर्णांक:- 10 अंक

पुरुष वर्ग 20 चक्कर			महिला वर्ग- 10 चक्कर		
क्र०सं०	समय	अंक	क्र०सं०	समय	अंक
1	02 मिनट में 20 चक्कर	10	1	01.30 मिनट में 10 चक्कर	10
2	02.01 से 02.15 मिनट में 20 चक्कर	09	2	01.31 से 01.45 मिनट में	09
3	02.16 से 02.30 मिनट में 20 चक्कर	08	3	01.46 से 02.00 मिनट में	08
4	02.31 से 02.45 मिनट तक 20 चक्कर	07	4	02.01 से 02.15 मिनट में	07
5	02.46 से 03.00 मिनट में 20 चक्कर	06	5	02.16 से 02.30 मिनट में	06
6	03.01 से 03.15 मिनट में 20 चक्कर	05	6	02.31 से 02.45 मिनट में	05

## 5- विविध (तैराकी, योगाभ्यास, प्राथमिक चिकित्सा इत्यादि)

कालांश :- 50

पूर्णांक:- 100

क्र०सं०	विषय	पूर्णांक	कालांश
1	तैराकी/जीवन रक्षा उपाय	25	14
2	योगाभ्यास	15	08
3	सभी खेलों के ग्राउण्ड का बनाना/नियमों की जानकारी	40	20
4	प्राथमिक चिकित्सा	20	08
योग		100	50